डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम –हिण्डौन जिला करौली

इजलास श्री सुरेश कुमार यादव, R.A.S.

उनवान

1. लक्ष्मण
2. भरत
3. संजय

पिसरान बाबू जाति धाकड निवासी अमृतपुरी हिण्डौन सिटी तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली राजस्थान

4. मुन्नी
5. गुड्डी
6. सरोज
7. सुमन

पुत्रियॉ बाबू जाति धाकड निवासी अमृतपुरी हिण्डौन सिटी तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली राजस्थान

8. भौती बेबा बाबू जाति धाकड नि0 अमृतपुरी हिण्डौन सिटी तह0हिण्डौनसिटी जिला करौली ———————————————— वादीगण

बनाम

1. उदयसिंह पुत्र दामोदर
2. ओमवती बेबा गोपाल

जाति धाकड निवासी अमृतपुरी हिण्डौन सिटी तहसील हिण्डौन सिटी

3. भरत पुत्र गोपाल जाति धाकड निवासी अमृतपुरी हिण्डौन
4. पूजा पुत्री गोपाल
5. राकेश पुत्र गोपाल

नावालिगान जरिये प्राकृति संरक्षक माता खुद ओमवती पुत्री गोपाल

6. सुरेश पुत्र दामोदर जाति धाकड निवासी अमृतपुरी हिण्डौन सिटी
7. दीनदयाल पुत्र दामोदर जाति धाकड निवासी अमृतपुरी हिण्डौन सिटी
8. धीरज पुत्र दामोदर जाति धाकड निवासी अमृतपुरी हिण्डौन सिटी
9. डेजी
10. सीता
11. बन्नो

पुत्रियान दामोदर जाति धाकड निवासी अमृतपुरी हिण्डौन सिटी तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली

12. रामभेजी बेबा दामोदर जाति धाकड निवासी अमृतपुरी हिण्डौन सिटी
13. बिजेन्द्र पुत्र घीस्या जाति धाकड निवासी अमृतपुरी हिण्डौन सिटी
14. सरदारी बेबा बद्री जाति धाकड निवासी अमृतपुरी हिण्डौन सिटी
15. गोविन्द पुत्र बद्री जाति धाकड निवासी अमृतपुरी हिण्डौन सिटी
16. नीरज पुत्री बद्री जाति धाकड निवासी अमृतपुरी हिण्डौन सिटी
17. उर्मिला पुत्री बद्री जाति धाकड निवासी अमृतपुरी हिण्डौन सिटी
18. रमेश पुत्र हरकिशन जाति धाकड निवासी अमृतपुरी हिण्डौन सिटी
19. चेतन पुत्र हरकिशन जाति धाकड निवासी अमृतपुरी हिण्डौन सिटी
20. पुष्पा बेबा पप्पू जाति धाकड निवासी अमृतपुरी हिण्डौन सिटी
21. राजेश पुत्र पप्पू
22. सपना पुत्री पप्पू
23. मनीषा पुत्री पप्पू
24. नीरज पुत्री पप्पू

समस्त जाति धाकड नावालिगा जरिये संरक्षक माता खुद पुष्पा बेबा पप्पू निवासी अमृतपुरी हिण्डौन

25. सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील हिण्डौन सिटी
26. सब रजिस्ट्रार, हिण्डौन सिटी ———————————————— वादीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.03.15 17:04:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी
इन्द्राज दुरूस्ती, तकास्मा
एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं0 45/2010

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजिरी श्री हरिबल्लभ चतुर्वेदी एडवोकेट मिन कानिव मुदई रूबरू श्री स्वतंत्र शर्मा एडवोकेट मिन जानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व मुताविक राजीनामा दिनांक 11.12.2019 के अनुसार डिक्री दी जाती है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 2639 रकबा 0.81 है0 में से रकबा 0.38 है0 दक्षिण दिशा वाके कस्बा हिण्डौन का वादीगण सं01 ता 8 को बहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष इन्द्राजात मुताविक राजस्व रिकार्ड बदस्तूर रहेगें। तहसीलदार हिण्डौन को आदेश दिये जाते हैं कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। निर्णय व डिक्री की प्रति तहसीलदार हिण्डौन को पालनार्थ भेजी

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 26.02.2021 को यह डिक्री जारी की गई।

26.02.2021
सुरेश कुमार यादव
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.03.15 17:04:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

तारीख रजू:– 11.05.2010

मुकदमा नं0 45/2010
पीठासीन अधिकारी :– श्री सुरेश कुमार यादव
R.A.S.

1. लक्ष्मण
2. भरत
3. संजय

पिसरान बाबू जाति धाकड निवासी अमृतपुरी हिण्डौन सिटी तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली राजस्थान

4. मुन्नी
5. गुड्डी
6. सरोज
7. सुमन

पुत्रियॉ बाबू जाति धाकड निवासी अमृतपुरी हिण्डौन सिटी तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली राजस्थान

8. भौती बेबा बाबू जाति धाकड नि0 अमृतपुरी हिण्डौन सिटी तह0हिण्डौनसिटी जिला करौली ———————————— वादीगण

बनाम

1. उदयसिंह पुत्र दामोदर
2. ओमवती बेबा गोपाल

जाति धाकड निवासी अमृतपुरी हिण्डौन सिटी तहसील हिण्डौन सिटी

3. भरत पुत्र गोपाल जाति धाकड निवासी अमृतपुरी हिण्डौन
4. पूजा पुत्री गोपाल
5. राकेश पुत्र गोपाल

नाबालिगान जरिये प्राकृति संरक्षक माता खुद ओमवती पुत्री गोपाल

6. सुरेश पुत्र दामोदर जाति धाकड निवासी अमृतपुरी हिण्डौन सिटी
7. दीनदयाल पुत्र दामोदर जाति धाकड निवासी अमृतपुरी हिण्डौन सिटी
8. धीरज पुत्र दामोदर जाति धाकड निवासी अमृतपुरी हिण्डौन सिटी
9. डेजी
10. सीता
11. बन्नो

पुत्रियान दामोदर जाति धाकड निवासी अमृतपुरी हिण्डौन सिटी तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली

12. रामभेजी बेबा दामोदर जाति धाकड निवासी अमृतपुरी हिण्डौन सिटी
13. बिजेन्द्र पुत्र घीस्या जाति धाकड निवासी अमृतपुरी हिण्डौन सिटी
14. सरदारी बेबा बद्री जाति धाकड निवासी अमृतपुरी हिण्डौन सिटी
15. गोविन्द पुत्र बद्री जाति धाकड निवासी अमृतपुरी हिण्डौन सिटी
16. नीरज पुत्री बद्री जाति धाकड निवासी अमृतपुरी हिण्डौन सिटी
17. उर्मिला पुत्री बद्री जाति धाकड निवासी अमृतपुरी हिण्डौन सिटी
18. रमेश पुत्र हरकिशन जाति धाकड निवासी अमृतपुरी हिण्डौन सिटी
19. चेतन पुत्र हरकिशन जाति धाकड निवासी अमृतपुरी हिण्डौन सिटी
20. पुष्पा बेबा पप्पू जाति धाकड निवासी अमृतपुरी हिण्डौन सिटी
21. राजेश पुत्र पप्पू
22. सपना पुत्री पप्पू
23. मनीषा पुत्री पप्पू
24. नीरज पुत्री पप्पू

नाबालिगा जरिये प्राकृति संरक्षक माता खुद पुष्पा बेबा पप्पू जाति धाकड निवासी अमृतपुरी हिण्डौन

25. सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील हिण्डौन सिटी
26. सब रजिस्ट्रार, हिण्डौन सिटी ———————————— प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.03.15 17:04:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी
इन्द्राज दुरूस्ती,भूमि विभाजन व स्थायी निषेधज्ञा

उपस्थित :– 1. श्री हरिबल्लभ चतुर्वेदी एडवोकेट वादीगण
2. श्री स्वतंत्र शर्मा एडवोकेट प्रतिवादी सं01 ता 17

निर्णय

दिनांक :– 26.02.2021

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण ने दावा बाबत् घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती, भूमि विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश कर वाद पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि वादीगण व प्रतिवादी सं01 ता 20 एक ही संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब के व्यक्ति हैं। जो विरासत के मामलों में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम से गर्व होते हैं। वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही पूर्वज की संतान हैं। जिनका संजरा अंकित किया है जिसमें अंकित किया है कि नत्थू उर्फ नथुआ पुत्र किशोरी (फौत) के दो लडके बुक्कड व कलुआ (फौत), तथा बुक्कड के तीन लडके किरोडी (फौत),घीस्या (फौत),बाबू (फौत), एवं उसकी पत्नि कम्पूरी है तथा किरोडी के एक लडका दामोदार तथा दामोदर के वारिसान उदय गोपाल(फौत) सुरेश दीनदयाल धीरज डेजी सीता बन्नो रामभेजी हैं तथा गोपाल के वारिस ओमवती भरत पूजा रिंकू हैं, घीस्या के दो लडके बिजेद्र व बद्री (फौत), बाबू के वारिस लक्ष्मण भरत संजय, भौती, सुमन मुन्नी गुड्डी सरोज तथा कलुआ के एक लडका हरिकिशन (फौत), हरिकिशन के वारिस उसकी बेबा रूमा (फौत) , रूमा के वारिस रमेश पप्पू (फौत) चेतन तथा पप्पू के वारिस पुष्पा राजेश सपना मनीषा नीरज है।

वाद पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि वादी सं01 ता 7 का परबाबा एवं वादी सं09 का बाबा नत्थू पुत्र किशोरी जाति धाकड निवासी हिण्डौन था, जिनके दो पुत्र थे, जिनमें बडा बुक्कड व छोडा कलुआ था। बुक्कड के तीन पुत्र व एक पुत्री पैदा हुए जिनके नाम किरोडी, घीस्या व बाबू तथा कम्पूरी देवी था। कलुआ के एक मात्र पुत्र हरिकिशन हुआ इस प्रकार विरासत के आधार पर नत्थू की समस्त चल अचल सम्पत्ति आराजीयात वगैराह बुक्कड व कलुआ के आधी आधी हिस्से में आयी। बुक्कड के हिस्से में जो आधी भूमि हिस्से में आयी उसमें उसके चार वारिस किरोडी,घीस्या, बाबू व कम्पूरी बराबर बराबर हिस्सेदार हुए तथा शेष 1/2 हिस्से का खातेदार हरिकिशन हुआ। बुक्कड के तीनों पुत्र फौत हो चुके हैं पुत्री जीवित है तथा कलुआ का एक मात्र पुत्र हरिकिशन भी फौत हो चुका है। इन सभी के वारिसान दावे में बतौर वादी व प्रतिवादी रिकार्ड पर लिये गए हैं।

वाद पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि वादी सं01 ता 8 स्वं0 बुक्कड के सबसे छोटे पुत्र बाबू पुत्र के पुत्र पुत्रियॉं व बेबा है। किरोडी के एक

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.03.15 17:04:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Scanned by CamScanner

पुत्र दामोदर था जो फौत हो चुका है, जिसके वारिसान प्रतिवादी सं01 ता 13 है। बुक्कड के दूसरे पुत्र घीस्या के दो पुत्र थे, जिनका नाम बिजेन्द्र व बद्री है।बिजेन्द्र प्रतिवादी सं013 है। बद्री फौत हो चुका है जिसके वारिसान प्रतिवादी सं014 लगायत 17 उनके पुत्र पुत्रियॉ व बेवा है।

वाद पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि कलुआ का एक मात्र पुत्र हरिकिशन था जो फौत हो चुका है। उसकी विधवा रूमा देवी फौत हो चुकी है। उसके वारिसान प्रतिवादी सं018 लगायत 24 उसके पुत्र पुत्रवधु व पौत्र पौत्रियां हैं। जिन्हें आवश्यक पक्षकार होने से दआवा में बतौर प्रतिवादी पक्षकार बनाया है।

वाद पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि स्व0 नत्था उर्फ नथुआ पुत्र किशोरी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1667 रकबा 7 बिस्वा, 1668 रकबा 1 बीघा, 1714 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा, 1715 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, 1716 रकबा 7 बीघा 2 बिस्वा, 1721 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा कुल किता 6 कुल रकबा 14 बीघा 9 बिस्वा वाके कस्बा हिण्डौन स्थित थी। जिसका पर्चा चकबन्दी उनके नाम से जारी हुआ है।

वाद पत्र के मद नं06 में दर्ज किया है कि उक्त आराजी वर्णित मद नं05 के सेटिलमेन्ट में नवीन खसरा नम्बर 1702 रकबा 7 बिस्वा, 1703 रकबा 1 बीघा, 1754 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा, 1755 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, 1756 रकबा 7 बीघा 2 बिस्वा, 1762 रकबा 8 बिस्वा, 1763 रकबा 15 बिस्वा कुल किता 7 कुल रकबा 14 बीघा 9 बिस्वा कायम होकर किरोडी घीस्या पि0 बुक्कड बल्द नथुआ के नाम खातेदारी में दर्ज हो गयी जहॉ वादीगण सं01 ता 7 के पिता बाबू का नाम सहवन से राजस्व कर्मचारियों एवं सेटिलमेन्ट अधिकारियों की गलती के कारण राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ। उस वक्त बाबू नावालिग था, उसकी उम्र उस वक्त करीब 2 –3 साल थी, उनके सगे बडे भाई किरोडी व घीस्या पढे लिखे थे उम्र में काफी बडे थे तथा चालाक किस्म के व्यक्ति थे, इस कारण उन्होंने बाबू व वादी सं09 कम्पूरी देवी का नाम राजस्व रिकार्ड में नाम जानबूझकर दर्ज नहीं करवाया जबकि विरासत से वादी सं01 ता 7 के पिता बाबू का उक्त आराजीयात में 1/8 हिस्सा विरासत के अनुसार स्पष्ट रूप से बनता था तथा वादी सं09 कम्पूरी देवी का भी 1/8 हिस्सा विरासत के आधार पर उक्त आराजी में बनता है।

वाद पत्र के मद नं07 में दर्ज किया है कि उक्त आराजीयात वर्णित मद नं0 5 व 6 वाद पत्र के हाल सेटिलमेन्ट में नवीन खसरा नम्बर 2501 रकबा 0.34 है0, 2518 रकबा 1.05 है0, 2526 रकबा 0.46 है0, 2539 रकबा 0.81 है0, 2540 रकबा 0.01 है0 [illegible] 2541 [illegible] है0, 2542 रकबा 0.23 है0, 2543 रकबा 0.21 है0 कुल किता 8 [illegible] 3.65 है0 वाके कस्बा हिण्डौन कायम हुए हैं। जिनमें [illegible] विरासत के अनुसार हिस्सा 1/8 व वादी सं0 9 का 1/8 [illegible] का 1/8 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं013 लगायत [illegible] तथा प्रतिवादी सं018 लगायत 24 का 1/2 हिस्सा है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.03.15 17:04:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

वाद पत्र के मद नं08 में दर्ज किया है कि वादीगण व प्रतिवादी सं01 ता 24 उक्त पैत्रिक सम्पत्ति को अपने बुजुर्गों के समय से ही सामिल सरीक होकर संयुक्त रूप से काश्त कर लगान सरकारी अदा करते चले आ रहे हैं तथा फसल का बंटवारा कर लाभान्वित होते चले आ रहे हैं। उक्त आराजीयात का अभी तक वादीगण व प्रतिवादीगण के बीच विधिवत कोई विभाजन नहीं हुआ है।

वाद पत्र के मद नं09 में दर्ज किया है कि प्रतिवादीगण के मन में अब बेईमानी व फितूर उत्पन्न हो गया है, जो वादीगण को उनकी सामिलाती पैत्रिक आराजीयात में से कोई हिस्सा देना नहीं चाहते हैं। जिसका उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है।

वाद पत्र के मद नं0 10 में दर्ज किया है कि वादीगण ने दिनांक 05.05.2010 को प्रतिवादीगण से उक्त पैत्रिक आराजीयात का विधिवत विभाजन करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादी सं01 ता 24 ने एक स्वर में कहा कि तुम्हारा नाम उक्त आराजीयात की खातेदारी में दर्ज हीं है इसलिए तुम्हें इस भूमि में से कोई हिस्सा नहीं देंगे।इस भूमि को तो हम ही आपस में बांट लेंगे इस पर वादीगण को घोर आश्चर्य हुआ तथा वादीगण ने उक्त आराजीयात का पुराना रिकार्ड ढूंढा तथा वर्तमान जमाबन्दी की नकल प्राप्त की तो वादीगण को पता चला कि हमारा नाम तो जमाबन्दी व अय राजस्व रिकार्ड में दर्ज ही नहीं हुआ है जबकि उक्त आराजीयात हमारे परबाबा नत्थू उर्फ नथुआ से विरासत में चली आ रही है तथा उक्त आराजी हमारी पैत्रिक आराजीयात है। इसलिए वादीगण को यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ।

वाद पत्र के मद नं011 में दर्ज किया है कि वादीगण सं01 ता 8 का उक्त आराजीयात में से 1/8 हिस्सा व वादी सं09 का 1/8 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं011 ता 12 का 1/8 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं013 लगायत 17 का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 18 लगायत 24 का 1/8 हिस्सा के खातेदार टीनेन्ट घोषित करवाने के अधिकारी हैं तथा तदानुसार राजस्व रिकार्ड की इन्द्राज दुरूस्ती व भूमि विभाजन करवाने के अधिकारी हैं।

वाद पत्र के मद नं012 में दर्ज किया है कि वादीगण दिनांक 05.05.2010 को अपनी उक्त आराजीयात को संभालने गये तो प्रतिवादी सं01 ता 24 ने वादीगण को ऐलानिया धमकी दी कि तुम्हारा उक्त आराजीयात में कोई हिस्सा नहीं है आयन्दा इस जमीन पर पैर भी मत रखना बरना बहुत बुरा होगा। हम तो इस जमीन को बेचकर पैसा बना लेगें और तुम अपना हिस्सा पाने के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहना। वादीगण की जानकारी में यह आया कि प्रतिवादीगण उक्त आराजीयात को बेचने हेतु प्रोपर्टी डीलरों से बातचीत कर रहे हैं तथा किसी भी समय उक्त आराजीयात का विक्रय पत्र सब रजिस्टार हिण्डौन के यहां जाकर निष्पादित कराने की फिराक में है। इसलिए वादीगण को यह दासवा अविलम्ब पेश करना आवश्यक हुआ। यदि प्रतिवादीगण को स्थायी निषेंधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो वे वादीगण को उक्त आराजीयात के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न करेंगे। प्रतिवादीगण अपनी बेजा

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.03.15 17:04:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

हरकतों से तब तक वाज नहीं आयेंगें जब तक कि उन्हें स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जावेगा।

वाद पत्र के मद नं013 में दर्ज किया है कि वाद कारण बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण दिनांक 05.05.2010 को उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादीगण ने वादीगण को उनके हिस्से की भूमि देने व विधिवत बंटवारा करवाने से इंकार कर दिया तथा उक्त आराजीयात के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न करने की धमकी दी। दावा हाजा अन्दर मियाद पेश है।

अतः दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत् घोषणा खातेदारी इन्द्राज दुरूस्ती, तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा डिकी किया जावे कि खसरा नम्बर 2501 रकबा 0.34 है0, 2518 रकबा 1.05 है0, 2526 रकबा 0.46 है0, 2539 रकबा 0.81 है0, 2540 रकबा 0.01 है0 गै0मु0चाह, 2541 रकबा 0.54 है0, 2542 रकबा 0.23 है0, 2543 रकबा 0.21 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 3.65 है0 वाके कस्बा हिण्डौन में से वादी सं01 ता 8 को 1/8 हिस्से का, वादी सं09 को 1/8 हिस्से का तथा प्रतिवादी सं01 ता 12 को 1/8 हिस्से का तथा प्रतिवादी सं013 लगायत 17 को 1/8 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं018 लगायत 24 को 1/2 हिस्से का खातेदार टीनेन्ट घोषित फरमाया जावे तथा तदानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करने का आदेश प्रतिवादी सं0 25 को प्रदान किया जावे। तथा उक्त आराजीयात का वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य उनके हिस्से के अनुसार सरस नरस से विभाजन कर अलग अलग खाते कायम किये जावें तथा राजस्व का अलग अलग निर्धारण किया जावे। वादीगण का दावा प्राथमिक डिकी किया जाकर बंटवारा स्कीम तलब फरमाई जावे तदानुसार फाईनल डिकी पारित की जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादीगण के हिस्से में आयी आराजीयात के उपयोग उपभोग कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा न तो स्वंय उत्पन्न करें और ना ही किसी अन्य से करावें। वादीगण को उक्त आराजीयात से बेदखल नहीं करें।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं01 ता 17 ने दिनांक 21.12.2011 को जबावदावा पेश कर जबावदावा के मद नं01 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नं01 जिस प्रकार तहरीर किया गया है, स्वीकार है।

जबावदावा के मद नं02 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नं02 जिस प्रकार तहरीर है सिवाय बुक्कड के हिस्से में जो आधी भूमि आयी उसके उसमें चार वारिस किरोडी घीस्या बाबू व कम्पूरी हिस्सेदार हुए के अलावा स्वीकार है। बुक्कड के हिस्से की आधी भूमि के [illegible] ही हिस्सेदार हुए तथा बाबू को अपने हिस्से की भूमि किरोडी घीस्या ने [illegible] होने के कारण अलग खरीद कर दी थी तथा कम्पूरी ने अपना हिस्सा मौखिक [illegible] से ही त्याग दिया था इस प्रकार बुक्कड के हिस्से की भूमि के किरोडी व घीस्या ही हकदार हुए।

जबावदावा के मद नं03 व 4 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नं03 व 4 जिस प्रकार तहरीर है स्वीकार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.03.15 17:04:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

जबावदावा के मद नं05 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नं05 जिस प्रकार तहरीर है जानकारी के अभाव में अस्वीकार है।

जबावदावा के मद नं06 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नं06 जिस प्रकार तहरीर है गलत है, अस्वीकार है। आराजीयात वर्णित मद नं05 के सेटिलमेन्ट में नवीन खसरा नम्बर 1702 रकबा 7 बिस्वा, 1703 रकबा 1 बीघा, 1754 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा, 1755 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, 1756 रकबा 7 बीघा 2 बिस्वा, 1762 रकबा 8 बिस्वा, 1763 रकबा 15 बिस्वा कायम नहीं हुए तथा वादीगण के पिता बाबू का नाम राजस्व कर्मचारियों व सेटिलमेन्ट अधिकारियों की गलती से दर्ज नहीं हुआ कहना गलत है। किरोडी व घीस्या उम्र में काफी बडे व चालाक किस्म का होना व बाबू व कम्पूरी का नाम जानबूझकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाना वाली बात बिल्कुल गलत है। उक्त आराजीयात में वादीगण 1 ता 7 का 1/8 हिस्सा व वादी सं09 का 1/8 हिस्सा विरासत के आधार पर होना स्वीकार नहीं है।

जबावदावा के मद नं07 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नं07 जिस प्रकार तहरीर है गलत है,स्वीकार नहीं है। नवीन खसरा नम्बर 2501 रकबा 0.34 है0, 2518 रकबा 1.05 है0, 2526 रकबा 0.46 है0, 2539 रकबा 0.81 है0, 2540 रकबा 0.01 है0 गै0मु0चाह, 2541 रकबा 0.54 है0, 2542 रकबा 0.23 है0, 2543 रकबा 0.21 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 3.65 है0 वाके कस्बा हिण्डौन में से वादी सं01 ता 8 का विरासत के अनुसार 1/8 हिस्सा तथा वादी नं09 का 1/8 हिस्सा हीं होकर प्रतिवादी सं0 1 ता 12 का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं013 ता 17 का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं018 ता 24 का 1/2 हिस्सा है।

जबावदावा के मद नं08 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नं08 जिस प्रकार तहरीर है गलत है,स्वीकार नहीं है। वादीगण ने उक्त आराजीयात को बुजुर्गों के समय से कभी भी काश्त नहीं की बल्कि उक्त आराजीयात को प्रतिवादी सं01 ता 24 ने मौके पर बाहमी बंटवारा कर काश्त कर लाभान्वित होते चले आ रहे हैं। वादीगण का उक्त आराजीयात से कोई सम्बन्ध बास्ता नहीं रहा है। वादीगण का उक्त आराजीयात से कोई सम्बन्ध वास्ता ही नहीं है तो विधिवत विभाजन कराने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

जबावदावा के मद नं09 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नं09 जिस प्रकार तहरीर है गलत है,स्वीकार नहीं है। प्रतिवादीगण के मन में बेईमानी व फितूर उत्पन्न नहीं होकर वादीगण के मन में फितूर व बेईमानी उत्पन्न हो गयी हैं जो प्रतिवादी सं01 ता 17 के हिस्से से जबरन हिस्सा मांगते है, जिसका वादीगण को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है।

जबावदावा के मद नं010 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नं010 जिस प्रकार तहरीर है गलत है,स्वीकार नहीं है। वादीगण का उक्त आराजीयात में कोई हिस्सा ही दर्ज नहीं है दिनांक 05.05.2010 को वादीगण या प्रतिवादी सं01 ता 17 से विभाजन कराने के लिए कहने का प्रश्न ही पैदा नहीं हाता। वादीगण ने उक्त मद में सारी बातें बनावटी दर्ज की हैं। वादीगण ने प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.03.15 17:04:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

के खिलाफ उक्त दावा प्रतिवादी सं01 ता 17 को हैरान व परेशान करने के लिए पेश किया है जो खारिज होने योग्य है।

जबावदावा के मद नं011 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नं011 जिस प्रकार तहरीर है गलत है,स्वीकार नहीं है। वादीगण उक्त आराजीयात में 1/8 हिस्सा व वादी सं09 उक्त आराजीयात कें 1/8 हिस्से के खातेदार टीनेन्ट घोषित कराने के अधिकारी नहीं हैं बल्कि प्रतिवादी सं01 ता 12 का हि01/4 तथा प्रतिवादी सं0 13 ता 17 का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं018 लगायत 24 का 1/2 हिस्सा हाल राजस्व रिकार्ड में बिल्कुल सही दर्ज है तथा वादीगण हाल राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती व भूमि विभाज कराने के अधिकारी हीं है।

जबावदावा के मद नं012 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नं012 जिस प्रकार तहरीर है गलत है,स्वीकार नहीं है।वादीगण का उक्त आराजीयात से कोई सम्बन्ध वास्ता नहीं है न ही कब्जा काश्त है तो वादीगण को संभालने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। उक्त मद में सारी बातें फर्जी व मनगढन्त दर्ज की हैं। प्रतिवादीगण को अपने हिस्से की आराजीयात को बेचने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। प्रतिवादीगण उक्त आराजीयात के खातेदार काश्तकार हैं जिन्हें स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

जबावदावा के मद नं017 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नं017 जिस प्रकार तहरीर है गलत है,स्वीकार नहीं है। मामला कोई अर्जेन्ट नेचर का नहीं है तथा राज्य सरकार के खिलाफ धारा 80 सीपीसी के तहत दो माह का नोटिस दिया जाना न्याय संगत है बिना नोटिस दावा खारिज होने योग्य है।

विशेष विवरण में दर्ज किया है कि सही तथ्य यह कि बुक्कड के तीन पुत्र किरोडी, घीस्या, बाबू व एक पुत्री कम्पूरी थी। किरोडी व घीस्या बडे थे तथा बाबू व कम्पूरी छोटे थे। किरोडी व घीस्या बडे होने के कारण बाबू व कम्पूरी के शादी विवाह सभी किरोडी व घीस्या ने किये थे तथा बुक्कड के हिस्से में से किरोडी घीस्या व बाबू के हिस्से में 7 बीघा 8 एयर जमीन आती है। उक्त जमीन से किरोडी व घीस्या ने बाबू की सहमति से अपने पास रख ली तथा बाबू को किरोडी व घीस्या ने 5 बीघा जमीन अपने रूपये से खरीद कर बाबू को अलग संभला दी, जिसे बाबू अपने जीवनकाल में काश्त कर उपयोग उपभोग करता रहा तथा बाबू ने उक्त 5 बीघा जमीन को मानसिंह बच्चूसिंह पुत्र बालाराम जाति जाट निवासी हिण्डौन को आज से करीब 20–25 वर्ष पहले बेच दिया। जिसका हाल खसरा नम्बर 2862 रकबा 13 एयर, 2863 रकबा 29 एयर मानसिंह की खातेदारी में दर्ज तथा बच्चूसिंह की अलग खातेदारी दर्ज है तथा कम्पूरी ने मौखिक रूप से अपना हक त्याग कर दिया था तथा कम्पूरी के भात जामने सभी खर्च किरोडी व घीस्या ही करते चले आ रहे हैं तथा कम्पूरी को वादी सं01 ता 8 ने जबरन पक्षकार बनाया है जबकि कम्पूरी अपना कोई हक नहीं मांग रही है। कम्पूरी के फर्जी हस्ताक्षर कर दावा हाजा पेश किया है। बाबू आज से करीब 3 वर्ष पूर्व ही फौत हुआ है तथा करीब 70 वर्ष की उम्र पाकर खत्म हुआ है। अगर बाबू को अपने हिस्से की पैत्रिक भूमि नहीं मिलती तो बाबू ही अपने जीवनकाल में उक्त दावा कर सकता था लकिन बाबू अपने पैत्रिक हिस्से की भूमि में बराबर भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.03.15 17:04:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

किरोडी व धीस्या से प्राप्त कर चुका था इसलिए दावा पेश नहीं किया। अब जमीनों की कीमत बढ गई है तथा बाबू के वारिसान वादीगण सं01 लगायत 8 ने बेईमानी पूर्वक बाबू के खत्म होने के पश्चात ही बाबू का कहीं राजस्व रिकार्ड मे नाम दर्ज नहीं होते हुए भी करीब 70 वर्ष पूर्व के राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती का दावा पेश किया है, जो म्याद बाहर है तथा खारिज होने योग्य है। वाद पत्र मे वर्णित आराजीयात पर आज तक वादीगण का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा ना ही वादीगण के पूर्वज बाबू का राजस्व रिकार्ड मे नाम दर्ज है, बिना कब्जे व बिना राजस्व रिकार्ड मे दर्ज बिना वादीगण कोई रिलीफ प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है दावा खारिज होने योग्य है। वादीगण माननीय न्यायालय मे क्लीन हैण्ड से नहीं आये है तथा तथ्य छिपाकर बेईमानी पूर्वक बाबू के मरने के पश्चात उक्त दावा पेश किया है, इसलिए वादीगण कोई रिलीफ प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है तथा खारिज होने योग्य है। वादीया नं09 अपना हिस्सा पहले ही मौखिक रूप से त्याग कर चुकी है तथा न ही वादी नं09 अब कोई हिस्सा चाहती है लेकिन वादी नं01 ता 8ने वादीया नं09 की झूंठी निशानी लगाकर दावा पेश किया है जो प्रथमदृष्टया ही खारिज होने योग्य है। वादीगण ने उक्त वाद गलत पेश किया है जो हर आयने खारिज होने योग्य है।

अतः जबावदावा पेश कर निवेदन किया है कि दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी सं01 ता 17 मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

दावा एवं जबावदावा के आधार पर प्रकरण में निम्नलिखित तनकीयात कायम की गई।

1. आया विवादित आराजी खसरा नम्बर 1702,1703,1754,1755,1756,1762, 1763 कुल किता 7 कुल रकबा 14 बीघा 9 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 2501,2518,2526,2539,2540,2541,2542,2543कुल किता 8 कुल रकबा 3.65 है0 कायम हुए हैं जो वाके ग्राम हिण्डौन में स्थित है।–जिम्मे वादी
2. आया उपरोक्त विवादित भूमि वादी व प्रतिवादीगण की पैत्रिक भूमि है. जिसमें राजस्व कर्मचारीयान की भूल से वादीगण के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में अमल नहीं किया गया है जबकि वादीगण के पिता का विरासत के आधार पर हि0 1/8 होता है। जिसे वादी दुरूस्त कराकर अपने नाम खातेदारी कराने का अधिकारी है। – जिम्मे वादी
3. आया विवादित आराजीयात में वादीगण अपने हिस्सा 1/8 को विभाजन कराने के अधिकारी हैं। – जिम्मे वादी
4. आया विवादित आराजतीयात में अपने हिस्सा 1/8 में आने वाली भूमि पर प्रतिवादीगण को [illegible] कराने के अधिकारी है। जिम्मे वादी
5. आया विवादित आराजीयात में वादी[illegible] का नाम जोडने पर कोई आपत्ति नहीं है। – जिम्मे प्रतिवादी सं0 18 ता 24
6. आया विवादित आराजी में वादी सं0 [illegible] ता 8 का कोई हिस्सा नहीं है बल्कि प्रतिवादी सं0 1 ता 12 हिस्सा 1/4, प्रतिवादी सं013 ता 17 का हिस्सा 1/4, प्रतिवादी सं0 18 ता 24 का हि01/2 है। किरोडी व धीस्या की

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.03.15 17:04:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

सहमति से भूमि बाबू को अलग से खरीद कर संभला दी और उक्त भूमि को बाबू ने 20–25वर्ष पूर्व मानसिंह बच्चू पुत्र बालाराम जाट को बेच दी है। वादी का इस आराजी से कोई लेना देना नहीं है।जिम्मे प्रतिवादी सं01ता 17

7. आया विवादित आराजीयात पर वादीमण का कोई कब्जा नहीं है। कब्जा के अभाव में वादी रिलीफ चाहने के अधिकारी नहीं है। – जिम्मे प्रतिवादीगण

8. अनुतोष

वकील वादीमण ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2063 से 66,नकल मिलान क्षेत्रफल,नकल खसरा गिरदावरी सं0 2003, असल पर्चा चकबन्दी बाबत मौका कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन निजामत हिण्डौ राज सवाई जयपुर सम्बत 1991 से 2000, असल पर्चा चकबन्दी बाबत मौका कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन निजामत हिण्डौ राज सवाई जयपुर सम्बत् 2000 से 2019, पेश किये हैं।

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की बहस सुनी गई। वकील वादीगण एवं प्रतिवादी सं01 ता 17 के अधिवक्ता ने दौराने बहस मुताबिक राजीनामा वादीगण का दावा डिकी किये जाने का निवेदन किया है।

असल पर्चा चकबन्दी बाबत मौका कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन निजामत हिण्डौ राज सवाई जयपुर सम्बत् 1991 से 2000 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 1667 रकबा 7 बिस्वा, 1668 रकबा 1 बीघा, 1714 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा, 1715 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, 1716 रकबा 7 बीघा 2 बिस्वा, 1721 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा कुल किता 6 कुल रकबा 14 बीघा 9 बिस्वा वाके हिण्डौन नत्थू बल्द किशोर कौम धाकड सा0देह के नाम दर्ज रिकार्ड है।

असल पर्चा चकबन्दी बाबत मौका कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन निजामत हिण्डौ राज सवाई जयपुर सम्बत् 2000 से 2019 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 1702 रकबा 7 बिस्वा, 1703 रकबा 1 बीघा, 1754 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा, 1755 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, 1756 रकबा 7 बीघा 2 बिस्वा, 1762 रकबा 8 बिस्वा, 1763 रकबा 15 बिस्वा कुल किता 7 कुल रकबा 14 बीघा 9 बिस्वा वाके ग्राम हिण्डौन की खातेदारी किरोडी व घीसी पिसरान बुक्कल कलुवा बल्द नथवा कौम धाकड सा0देह हिस्सा बराबर के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल मिलान क्षेत्रफल सं0 2046 से 66 के अनुसार विवादित आराजीयात के दौराने सेटिलमेन्ट साबिक खसरा नम्बरान से नवीन खसरा नम्बरान निम्नानुसार कायम किये गये हैं।

साविक खसरा नं0	रकबा	हाल खसरा नं0	रकबा हैक्टेयर में
1702, 1703	1 बीघा 7 बिस्वा	2501	0.34 है0
1762, 1763	1 बीघा 3 बिस्वा	2518	1.05 है0
1754	3 बीघा 1 बिस्वा		
1755	1 बीघा 16 बिस्वा	252	0.46 है0
1756 मिन	7 बीघा 2 बिस्वा	2	0.81 है0
1756 मिन			0.01 है0
1756 मिन			0.54 है0
1756 मिन	–	2542	0.23 है0
1756 मिन	–	2543	0.21 है0

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.03.15 17:04:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

नकल जमाबन्दी सं0 2063 से 66 के अनुसार विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 2501 रकबा 0.34 है0, 2518 रकबा 1.05 है0, 2526 रकबा 0.46 है0, 2539 रकबा 0.81 है0, 2540 रकबा 0.01 है0 गै0मु0चाह, 2541 रकबा 0.54 है0, 2542 रकबा 0.23 है0, 2543 रकबा 0.21 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 3.65 है0 वाके कस्बा हिण्डौन की खातेदारी किरोडी पुत्र बुक्कल हि01/4, विजेन्द्रसिंह पुत्र घीस्या हि01/8, गोविन्दसिंह पुत्र बदरीप्रसाद व सरवारी बेबा बद्रीप्रसाद व उर्मिला नीरज पुत्री बद्रीप्रसाद हि01/8 रमेश पप्पू चेतन पि0 हरकिशन मु0 रूमा बेवा हरकिश हि01/2 जाति धाकड निवासी ग्राम खातेदार पप्पू पुत्र हरकिशन हि0 1/8 राहिन अरावली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हिण्डौन के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा इसी जमाबन्दी पर अंकित नोट नामान्तकरण सं0 3340 दिनांक 05.10.2009 – विरासत से किरोडी पुत्र बुक्कल हि01/4 के बजाय भरत राकेश पि0 गोपाल पूजा पुत्री गोपाल ओमवती बेबा गोपाल हि0ब0 हि01/36 उदयसिंह सुरेश दीनदयाल धीरज पि0 दामोदर डेजी सीता बन्नो पुत्री दामोदर रामभेजी बेबा दामोदर धाकड हि0ब0 हि0 2/9 शेष जमाबन्दी बदस्तूर स्वीकार हुई दर्ज रिकार्ड है।

दिनांक 11.12.2019 को वादी सं01 ता 8 एवं प्रतिवादी सं01 ता 17 ने न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया जो वाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। राजीनामा में अंकित किया है कि लोक अदालत की भावना एवं पंचों के समझाने से पक्षकारान में निम्न प्रकार राजीनामा हो गया है। वादीगण सं01 ता 8 को वादग्रस्त आराजी में से 0.38 है0 भूमि उनके हिस्से के रूप में देने के लिए प्रतिवादीगण तैयार हैं। 0.38 है0 भूमि वादीगण को प्रतिवादीगण खसरा नम्बर 2639 रकबा 0.81 है0 में से दक्षिण दिशा की तरफा 38 एयर रकबा देंगे। जिसका वादीगण सं01 ता 8 तन्हा खातेदार टीनेन्ट रहेंगे। इसी अनुसार उनके नाम खातेदारी दर्ज कर उनका खाता अलग कर दिया जावे।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात वादीगण एवं प्रतिवादीगण को अपने बुजुर्ग नत्थू बल्द किशोर जाति धाकड निवासी हिण्डौन से विरासत में प्राप्त हुई है। किन्तु नत्थू की मृत्यु के पश्चात उक्त विवादित आराजीयात जो नत्थू के द्वारा छोडी हुई है का विरासत के आधार पर खातेदारी किरोडी व घीसी पिसरान बुक्कल हि01/2 एवं कलुवा बल्द नथुवा हि0 1/2 के नाम सम्बत् 2000 में ही दर्ज हो गयी थी। जबकि नत्थू की विरासत किरोडी, घीसी, बाबू, कम्पूरी पिसरान बुक्कल के नाम दर्ज होनी चाहिए थी। क्योंकि बुक्कल के तीन लडके किरोडी, धीसी व बाबू थे। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वादीगण सं01 ता 7 के पिता एवं वादी सं08 के पति बाबू , बुक्कल का पुत्र है तथा बुक्कल,नत्थू का पुत्र है। इसलिए नत्थू के द्वारा छोडी हुई आराजीयात पर बुक्कल के तीनों पुत्र किरोडी, धीसी, बाबू व पुत्री कम्पूरी के नाम खातेदारी हि01/2 की दर्ज होनी चाहिए थी। दिनांक 11.12.2019 को वादी सं01 ता 8 एवं प्रतिवादी सं01 ता 17 ने न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया है तथा मुताविक राजीनामा वादीगण सं01 ता 8 के हिस्से में खसरा नम्बर 2639 रकबा 0.81 है0 में से 38 एयर भूमि देने तय हुआ है तथा मुताविक राजीनामा

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.03.15 17:04:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

वादीगण का दावा डिकी किये जाने का निवेदन किया है। ऐसे हालात मुताविक राजीनामा वादीगण का दावा डिकी योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत् घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती, तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा, मुताविक राजीनामा दिनांक 11.12.2019 के अनुसार डिकी किया जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 2639 रकबा 0.81 है0 में से रकबा 0.38 है0 दक्षिण दिशा वाके कस्बा हिण्डौन का वादीगण सं01 ता 8 को बहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष इन्द्राजात मुताविक राजस्व रिकार्ड बदस्तूर रहेगें। तहसीलदार हिण्डौन को आदेश दिये जाते हैं कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। निर्णय व डिकी की प्रति तहसीलदार हिण्डौन को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.02.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26.02.2021

(सुरेश कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.03.15 17:04:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner